DCM
LIMITED

June 12, 2018

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block
Bandra – Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai - 400051

BSE Limited
Floor 25, PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001

Sub: Publication of Notice of NCLT Convened Meetings of shareholders and Creditors in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 in connection with proposed Scheme of Arrangement

[Scrip code: NSE (DCM) /BSE(502820)]

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith scanned copy of the Newspaper Advertisement, in respect of the Notices of NCLT Convened Meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors in connection with proposed Scheme of Arrangement between DCM Limited ('Demerged Company') and DCM Nouvelle Limited ('Resulting Company') and their shareholders and creditors, published in the following newspapers:

i) 'Business Standard' newspaper in the English Language (Delhi edition); and

ii) 'Jansatta in Hindi language (Delhi edition)

Kindly take the same on record.

Thanking You,
Yours truly,
For DCM Limited

DCM LIMITED * DELHI *

Yadvinder Goyal
Company Secretary

Encl.: As above

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
COMPANY APPLICATION (CAA) NO. 33 (PB) OF 2018

In the matter of the Companies Act, 2013;
And
In the matter of Sections 230 to 232 read with Section 66 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013;
And
In the matter of Scheme of Arrangement between DCM Limited and DCM Nouvelle Limited and their respective shareholders and creditors;

DCM Limited,
A listed company incorporated under the provisions of the Indian Companies Act, 1882 and having its registered office at Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi - 110008
-------Applicant-1/ Demerged Company

DCM Nouvelle Limited,
A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 203 and having its registered office at 601, 6th Floor, Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi - 110008
-------Applicant-2/ Resulting Company

ADVERTISMENT OF NOTICE CONVENING MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED CREDITORS OF DCM LIMITED ('DEMERGED COMPANY'/'COMPANY')

Notice is hereby given that by an order dated the March 28, 2018, the Principal Bench of the National Company Law Tribunal ('Tribunal'), New Delhi has directed separate meetings to be held of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of Demerged Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the proposed Scheme of Arrangement between DCM Limited and DCM Nouvelle Limited and their respective shareholders and creditors ('Scheme').

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that the aforesaid meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Demerged Company will be held as under at which time and place the said Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors are requested to attend:

Demerged Company

S. No.	Class of Meeting	Date of Meetings	Time (IST)	Place of Meeting
1.	Equity Shareholders	Saturday, 14th July, 2018	2.00 PM	Aiwan - E - Ghalib Auditorium, Mata Sundari Lane, Kotla Road, Maulana Azad Road, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
2.	Secured Creditors		3.30 PM	
3.	Unsecured Creditors		5.00 PM	

Copies of the said proposed Scheme of Arrangement and of the Explanatory statement under section 230(3) can be obtained free of charge on any working day (except Saturdays, Sundays and Public Holidays) at the registered office of the company.

Persons entitled to attend and vote at the respective meetings may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Company at Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi - 110008 not later than 48 hours before the meeting.

Forms of proxy can be had at the registered office of the Demerged Company.

The Tribunal has appointed Justice Vinod Sharma and failing him, Shri Amit Jhangi as chairperson for the said meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured creditors of the Demerged Company. Further, the Tribunal has appointed Mr. Savdesh Pal Goyal as the Scrutinizer to conduct the voting through postal ballot form, e-voting and Polling Paper at the venue of the aforesaid meetings in a fair and transparent manner.

The above mentioned Scheme, if approved by the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Demerged Company at their respective meetings, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

In pursuance of the aforesaid Order of Tribunal, the Demerged Company has provided the facility of voting through polling paper at aforesaid meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors. The Demerged Company has also provided the facility of voting through postal ballot form and e-voting to its Equity Shareholders to enable them to vote on the proposed scheme. The Company has engaged the services of National Securities Depository Services Limited (NSDL) for facilitating the e-voting services. Equity shareholders exercising vote by using e-voting facility are requested to carefully follow the instructions given in the Notice of aforesaid Tribunal convened meeting of Equity shareholders of Demerged Company.

Further notice is given to the Equity Shareholders of the Demerged Company that:

1. The cut-off date for determining the eligibility of the Equity Shareholders for voting though postal ballot or e-voting or polling paper at the venue of the Tribunal convened meeting is 11th May, 2018. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to vote. Person who are not Equity Shareholder of the Demerged Company as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
2. Voting through postal ballot and e-voting shall commence on June 14, 2018 at 9.00 AM (IST) and shall end on July 13, 2018 at 5.00 PM (IST).
3. On June 11, 2018, the Demerged Company has completed dispatch of notice of the meeting setting out draft of the Resolution along with annexures thereto including Postal Ballot Form and Business Reply Envelope to all the Equity Shareholders of the Company (as at the cut-off date of 11th May, 2018), who hold 100 Equity shares or more, at their registered addresses in the permitted mode & electronically to those Equity Shareholders who have registered their e-mail addresses with the Company or Depository Participants
4. Equity shareholders who have not received the postal ballot form can either download the same from the website of the company, www.dcm.in or obtain it from the registered office of the Demerged Company.
5. Duly filled and signed Postal Ballot form in the Business Reply Envelope (BRE) should reach the Scrutinizer not later than Friday, July 13, 2018 (5.00 pm IST), to be eligible for being considered, failing which, it will be strictly considered that no reply has been received from the member.
6. Notice of the said meeting is available on the Demerged Company's website viz., www.dcm.in and on the website of NSDL viz., www.evoting.nsdl.com apart from the website of the Stock Exchange where the Demerged Company's shares are listed viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com.
7. Members can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or postal ballot or polling paper at Tribunal convened meeting. However, in case members cast their vote by more than one means of voting, then voting will be counted in the following sequence of priority, namely, (i) Remote e-voting, (ii) postal ballot, and (iii) polling paper at Tribunal convened meeting, as may be applicable. It is clarified that casting of votes by postal ballot or remote e-voting does not disentitle an Equity Shareholder as on the cut-off date of May 11, 2018 from attending the meeting.
8. In case of queries/grievances relating to voting by Postal Ballot or by electronic means, Equity Shareholders are requested to contact Mr. Ajay Kumar Dalal, MCS Share Transfer Agents Limited, F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020; Phone No. - 011-41406149, email: admin@mcsregistrars.com or NSDL at toll free no.: 1800 222 990 or may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads Section of www.evoting.nsdl.com

Sd/-
Justice Vinod Sharma
Chairperson appointed for the meetings

Place: Chandigarh
Dated: June 12, 2018

ASIAN HOTELS (WES

CIN No: L55101DL2007PLC15751
Regd. Office: 6th Floor, Aria Towers, J.W. Marriott, N
Asset Area 4, Hospitality District, Near IGI Airport, N
Tel No.: 011-46101210, Fax No: 011-415
Website: www.asianhotelswest.com E-mail : vivek.jain@

NOTICE OF 11TH ANNUAL GENERAL REMOTE E-VOTING INFORMATION AND I

Notice is hereby given that:

1. The 11th Annual General Meeting (AGM) of the Company w NH8, Rajokri, New Delhi 110038 on Tuesday, 3rd July, 201 Ordinary and Special Business as set out in the Notice of th
2. Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Repo sent to all the members whose email IDs are registered Participant(s) on 11th June, 2018 and Physical copies of the Report for the FY 2017-18 have been sent to all other memb in the permitted mode on 9th June, 2018. The Notice of the A also available on the Company's website **www.asianhotels**
3. Members holding shares either in physical form or in dema off date of 26th June, 2018, may cast their vote electronicall Business as set out in the Notice of the AGM through electr (**https://evoting.karvy.com**) from a place other than venue o All the members are informed that:
 I. The Ordinary and Special Business as set out in the transacted through voting by electronic means:
 II. The remote e-voting shall commence on 30th June, 201
 III. The remote e-voting shall end on 2nd July, 2018 at 5:00
 IV. The cut-off date for determining the eligibility to vote b AGM is 26th June, 2018.
 V. Any person, who acquires shares of the Company a Company after dispatch of the Notice of the AGM and date i.e. 26th June, 2018, may obtain the login ID and pa (RTA) at 040-67161518. However, if a person is alread remote e-voting then existing user ID and password ca
 VI. Members may note that: (a) the remote e-voting shall the aforesaid date and time for voting and once the vote member, the member shall not be allowed to change it for voting through ballot paper shall be made available who have cast their vote by remote e – voting prior to t AGM but shall not be entitled to cast their vote again; an recorded in the register of members or in the register of by the depositories as on the cut-off date only shall be remote e-voting or voting at the AGM through ballot pap
 VII. Notice of the AGM is available on the company's website and on **https://evoting.karvy.com**.
 VIII. In case of any queries relating to E-voting, members ma Questions and E-voting user manual available at **https FAQ.aspx**, Further in case of any grievances relating Mr. Suresh Babu D, Deputy Manager - RIS, Karvy Computer Tower B, Plot number 31 & 32, Financial District, Nanakram Hyderabad – 500 032, Contact No 91 040-67161518 C Secretary and Compliance Officer, Asian Hotels (West) Lt Marriott, New Delhi Aerocity, Asset Area 4, Hospitality Distri 110037, Contact No 011-41597320, E-mail ID: **vivek.jain**
4. The Register of Members and the Share Transfer Books of the from Wednesday 27th June, 2018 to Tuesday 3rd July, 2018 (b closing and determining the entitlement of the shareholders FY 2017-18.

F

Place : New Delhi
Date : 11.06.2018

दाखिले की दौड़ : डीयू में 90 फीसद आवेदन सीबीएसई छात्रों के

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 11 जून।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आए आवेदनों में 90 फीसद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के विद्यार्थियों के हैं। डीयू ने योग्यता और प्रवेश परीक्षा आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 15 मई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत 7 जून तक आवेदन किए गए। आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सोमवार को डीयू ने आवेदन करने वाले छात्रों का शैक्षणिक बोर्ड आधारित आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक, डीयू को स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 27 शैक्षणिक बोर्डों के विद्यार्थियों से कुल 278574 आवेदन मिले।

DCM LIMITED

पंजी. कार्यालयः विक्रांत टावर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली– 110008
CIN: L74899DL1889PLC000004
फोनः (011) 25719967, फैक्सः (011) 25765214
ई–मेल आईडीः investors@dcm.in, वेबसाइटः www.dcm.in

डाक मतपत्र सूचना

डीसीएम लिमिटेड ('डीसीएम' या 'कंपनी') के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी ने उन सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को, डाक मतपत्र और ई–वोटिंग की सूचना, व्याख्यात्मक विवरण, समामेलन की योजना, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी टिप्पणी पत्र, निष्पक्षता राय रिपोर्ट, एक डाक मतपत्र फार्म और स्व–पता लिखा पूर्व–मुद्रतेय बिजनैस लिफाफा (जिसे एक साथ "डाक मतपत्र दस्तावेज" वर्णित किया गया है), को भेजने का कार्य 11 जून, 2018 को पूर्ण कर लिया है, जिनके नाम 11 मई, 2018 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा दी गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं। डीसीएम लिमिटेड ("हस्तांतरिती कंपनी") में क्रेसिडा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ('हस्तांतरणकर्ता कंपनी') के समामेलन की योजना तथा उनके शेयरधारकों और लेनदारों ("योजना") में कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति चाहने हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) परिपत्र सं. सीएफडी/डीआईएल3/ सीआईआर/2017/21 दिनांक 10 मार्च, 2017 के साथ पठित अन्य अधिसूचनाओं और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में, ई–वोटिंग तथा इस डाकपत्र सुविधा का आयोजन किया जा रहा है।

कंपनी ने सार्वजनिक शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक रूप से अपना मत डालने के लिए उनको सक्षम बनाने हेतु एक विकल्प के रूप में ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाओं को नियुक्त किया है। ई–वोटिंग सुविधा का प्रयोग करके मतदान करने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों से, डाक मतपत्र तथा ई–वोटिंग सूचना पत्र में दिये गये निर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुसरण, करने का अनुरोध किया जाता है।

श्रीमती प्रज्ञा परमिता प्रधान, पूर्णकालिक अभ्यासरत कंपनी सचिव, मैसर्स प्रज्ञा प्रधान एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों, के प्रोपराइटर, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक के माध्यम से मतदान व ई–वोटिंग प्रक्रिया को संचालित करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उचित रूप से भरा और हस्ताक्षर किया हुआ डाक मतदान फार्म पर्यवेक्षक को 13 जुलाई, 2018 (सायं 5.00 बजे भा.मा.स) तक वापस भेज करके अपनी सहमति या असहमति के बारे में अवगत करायें।

कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों को एतद्द्वारा यह भी सूचित और अनुरोध किया जाता है कि:

ए) पूर्वकथित डाक मतपत्र सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रानिक साधनों (ई–वोटिंग) के द्वारा मतदान शामिल होगा;

बी) ई–वोटिंग सहित मतदान गुरूवार, 14 जून, 2018 को प्रातः 9.00 बजे आरम्भ होगा और शुक्रवार, 13 जुलाई, 2018 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगा। मतदान अवधि के दौरान, कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों जो भौतिक या अभौतिक रूप से कट–ऑफ तिथि अर्थात 11 मई, 2018 को शेयर रखते है, डाक मतदान फार्म या ई वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं;

सी) 13 जुलाई, 2018 (सायं 5.00 बजे भा.मा.स) के बाद भौतिक डाक मतदान फार्म या ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद प्राप्त होने वाला कोई भी डाक मतदान फार्म मान्य नहीं होगा और उसे सार्वजनिक शेयरधारकों से प्राप्त नहीं हुआ माना जायेगा और इसके बाद 'ई–वोटिंग प्रारूप को भी एनएसडीएल द्वारा अक्षम कर दिया जायेगा;

डी) सार्वजनिक शेयरधारकों को डाक मतदान फार्म प्राप्त नहीं हुआ है वे या तो कंपनी की वेबसाइट www.dcm.in से डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं:

ई) डाक मतदान सूचना पत्र कंपनी की वेबसाइट www.dcm.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के अलावा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां हस्तांतरी कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

एफ) सार्वजनिक शेयरधारकों के मतदान के अधिकार 11 मई, 2018 को निर्धारित किये जाएगें और कोई व्यक्ति जो कथित दर्ज तिथि पर एक सार्वजनिक शेयरधारकों नहीं है, उसे इस सूचना को मात्र जानकारी के उद्देश्यों के लिए समझना चाहिये;

जी) सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि, डाक मतपत्र द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित प्रश्नों/शिकायतों के मामले में, सदस्य, श्री अजय कुमार दलाल, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, एफ –65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–I, नई दिल्ली – 110020 या फोन नं – 011–41406149, ईमेलः admin@mcsregistrars.com या एनएसडीएल टोल फ्री नं0 1800 222 990 से संपर्क कर सकते है या सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ई–वोटिंग प्रयोग नियम पुस्तिका जो कि www.evoting.nsdl.com के सदस्यों की डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है, का परामर्श ले सकते है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते डीसीएम लिमिटेड
हस्ता/–
यादविन्दर गोयल
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12 जून, 2018

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष
प्रधान पीठ, नई दिल्ली
कंपनी आवेदन (सीएए) न0. 2018 का 33 (पीबी)

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
तथा
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के साथ पठित धारा 66 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के मामले में
तथा
डीसीएम लिमिटेड और डीसीएम नौवेल लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में

डीसीएम लिमिटेड,
इंडियन कंपनी अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत निगमित एक सूचीबद्ध कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय विक्रांत टॉवर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 में है।
.....आवेदक–1/डिमर्ज्ड कंपनी

डीसीएम नौवेल लिमिटेड,
कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय 601, 6 फ्लोर, विक्रांत टॉवर, 4, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 में है।
.....आवेदक–2/परिणामी कंपनी

डीसीएम लिमिटेड ('डिमर्ज्ड कंपनी'/'कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक के आयोजन की सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ('अधिकरण'), नई दिल्ली की प्रधान पीठ ने अपने आदेश दिनांक 28 मार्च, 2018 के द्वारा डीसीएम लिमिटेड और डीसीएम नौवेली लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच प्रस्तावित व्यवस्था की योजना पर विचार करने और यदि जरूरी हुआ तो संशोधन या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करने के लिए डिमर्ज्ड कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की अलग–अलग बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

कथित्त आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में, आगे सूचना दी जाती है कि डिमर्ज्ड कैंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की उपरोक्त कथित बैठक निम्नानुसार आयोजित की जाएगी जिसके लिए कथित इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों से निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है:

– डिमर्ज्ड कंपनी

क्र. सं.	बैठक की श्रेणी	बैठक की तिथि	समय (भा.मा.स)	बैठक का स्थान
1.	इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, 14 जुलाई, 2018	अप. 2.00 बजे	अवान–ई–गालिब ऑडिटोरियम, माता सुन्दरी लेन, कोटला रोड, मौलाना आजाद दोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
2.	प्रतिभूत लेनदार		अप. 3.30 बजे	
3.	अप्रतिभूत लेनदार		सायं 5.00 बजे	

धारा 230(3) के अंतर्गत कथित व्यवस्था की प्रस्तावित योजना और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) पर निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।

संबंधित बैठकों में उपस्थित होने एवं वोट देने का पात्र व्यक्ति व्यक्तिगत या प्रॉक्सी के माध्यम से वोट दे सकता है बशर्ते कि सभी प्रॉक्सियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय विक्रांत टॉवर, 4, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 में बैठक के 48 घंटे पूर्व जमा कर दिया जाए।

प्रॉक्सी फॉर्म हस्तांतरी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

अधिकरण ने डिमर्ज्ड कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की कथित बैठक के लिए न्यायमूर्ति विनोद शर्मा और उनकी अनुपस्थिति में श्री अमित जांघी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा, अधिकरण ने डॉक मतपत्र फार्म, ई–वोटिंग और उपरोक्त कथित बैठक में पोलिंग पेपर के माध्यम से वोटिंग को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने के लिए श्री सवदेश पाल गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

उपरोक्त वर्णित योजना, यदि अपनी संबंधित बैठकों में डिमर्ज्ड कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा अनुमोदित की जाती है तो यह अधिकरण के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

अधिकरण के कथित आदेश के अनुसरण में, डिमर्ज्ड कंपनी ने इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत लेनदारों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की उपरोक्त कथित बैठकों में पोलिंग पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। डिमर्ज्ड कंपनी ने प्रस्तावित योजना पर वोट देने के लिए सक्षम बनाने हेतु अपने इक्विटी शेयरधारकों को डाक मतपत्र और ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने की भी सुविधा प्रदान की है। कंपनी ने ई–वोटिंग सेवा को सुगम बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अधिकरण द्वारा डिमर्ज्ड कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक आयोजित करने के लिए उपरोक्त कथित सूचना में दिये गये निर्देशों का भली–भांति पालन करें।

डिमर्ज्ड कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. डाक मतपत्र या ई–वोटिंग या अधिकरण द्वारा निर्देशित बैठक के आयोजन के स्थल पर मतदान पत्र के माध्यम से वोट देने हेतु इक्विटी शेयरधारकों की योग्यता के निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि 11 मई, 2018 है। वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि की सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल वही वोट देने का पात्र होगा। वह व्यक्ति जो हस्तांतरिती कंपनी का इक्विटी शेयरधारक नहीं है, वह इस सूचना को जानकारी का प्रयोजन मात्र समझे।
2. डाक मतपत्र और ई–वोटिंग सहित वोटिंग 14 जून, 2018 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स) प्रारंभ होगी और 13 जुलाई, 2018 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स) समाप्त होगी।
3. 11 जून, 2018 को डिमर्ज्ड कंपनी ने कंपनी के उन सभी इक्विटी शेयरधारकों (कट–ऑफ तिथि 11 मई, 2018 के अनुसार), जिन्होंने 100 या उससे अधिक शेयरधारित किये हैं, को उनके पंजीकृत पते पर स्वीकार्य पद्धति में एवं कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास जिनके ई–मेल पते दर्ज हैं, उन इक्विटी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में डाक मतपत्र फार्म एवं बिजनैस उत्तर लिफाफे के साथ सभी संलग्नकों सहित प्रस्ताव के निर्धारित ड्राफ्ट से शामिल सूचना भेजने का कार्य पूर्ण कर लिया है।
4. इक्विटी शेयरधारक जिन्हें डाक मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है वह इसे कंपनी की वेबसाइट www.dcm.in से डाउनलोड कर सकते है या डिमर्ज्ड कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
5. बिजनैस उत्तर लिफाफा (बीआरई) में विधिवत् भरा गया डाक मतपत्र फार्म पर्यवेक्षक के पास शुक्रवार, 13 जुलाई, 2018 को (सायं 5.00 बजे भा.मा.स) तक पहुंच जाना चाहिए तभी इसे योग्य मानकर इस पर विचार किया जाएगा और बाद में प्राप्त होने पर इसे सदस्य से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ माना जाएगा।
6. कथित बैठक की सूचना डिमर्ज्ड कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.dcm.in और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com के अलावा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
7. अधिकरण के आदेश पर आयोजित बैठक में सदस्यगण वोटिंग की केवल एक पद्धति या तो रिमोट ई–वोटिंग या डाक मतपत्र या पोलिंग पेपर का विकल्प चुन सकते हैं। यद्यपि, यदि सदस्य वोटिंग की एक से अधिक पद्धति से अपना वोट देता है तो उसके वोट की गणना प्राथमिकता आधार पर निम्नलिखित क्रम में की जाएगी (1) रिमोट ई–वोटिंग (2) डाक मतपत्र और (3) बैठक के स्थल पर पोलिंग पेपर, जैसा भी लागू हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि 11 मई, 2018 की कट–ऑफ तिथि पर पंजीकृत इक्विटी शेयरधारकों, द्वारा डाक मतपत्र या रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट देने पर, उन्हें बैठक में भाग लेने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
8. डाक मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे श्री अजय कुमार दलाल, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020, फोन नं. 011-41406149 ई–मेलः admin@mcsregistrars.com से सम्पर्क करें या एनएसडीएल टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर कॉल करें या www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सैक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें।

हस्ता/–
न्यायमूर्ति विनोद शर्मा
बैठकों के लिए नियुक्त अध्यक्ष

स्थानः चंडीगढ़
दिनांक 12 जून, 2018